29.5.13 DJ

घर-अपार्टमेंट निर्माण पर रोक

आदेश आज से लागू , पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने उठाये कड़े कदम

सुनील राज, पटना

पटना में घर और अपार्टमेंट बनाने पर रोक लगा दी गई है। पटना नगर निगम ने हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद नए अपार्टमेंट और घरों की प्लानिंग रिपोर्ट निर्गत न करने का फैसला किया है। विदित रहे कि प्लानिंग रिपोर्ट के बाद ही नक्शा पास होता है। इसके साथ ही पूर्व से बन रहे अपार्टमेंट एवं मकानों की प्लानिंग रिपोर्ट स्कैन करने के आदेश भी दिए हैं।

पटना नगर निगम को अंदेशा है कि बड़ी संख्या में शहर के बिल्डरों ने जिनके न नाम है न निबंधन वे स्थापित नियमों का उल्लंघन कर वास्तुविद से नक्शा पास कराए बगैर या तो निर्माण कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं। इस पर तत्काल रोक लगाने के लिए आवश्यक है कि सभी अंचलों में चल रहे निर्माण की सूची तैयार की जाए। निगम ने शहरी योजना पदाधिकारी ■ शेष पृष्ठ 21 पर

दस्तावेज सही नहीं तो रोके जाएंगे जारी निर्माण भी

सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्माण करने वाले बिल्डर अथवा जमीन मालिक से वास्तुविद द्वारा पास किए गए नक्शे, प्लानिंग रिपोर्ट एवं जमीन के कागजात की मांग करें। यदि उन्हें आवश्यक कागजात नहीं मिलते हैं तो तत्काल प्रभाव से निर्माण पर रोक लगा दें। यदि वे निर्माण न रोकें तो उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

- नए आवास, अपार्टमेंट के प्लान पर ही लगाई गई रोक
- जाहिर है नहीं पास होंगे नक्शे तो कैसे बनेंगे मकान
- पूर्व से हो रहे निर्माण की रिपोर्ट भी स्कैन की जाएगी
- बिल्डर को सौंपने होंगे नक्शे व जमीन के कागजात
- निर्माणाधीन इकाइयों की होगी जीपीएस फोटोग्राफी
- टैक्स कलेक्टर वे सफाई निरीक्षकों तक को जिम्मेदारी

स्पीड पोस्ट से मिलेगा निर्माण रोकने का आदेश

निर्माण में अनियमितता पाए जाने की स्थिति में बिल्डर या भू मालिक को निगम स्पीड पोस्ट से एक नोटिस जारी करेगा। इसके अलावा कार्य स्थल पर भी एक नोटिस चस्पा की जाएगी। नोटिस की फोटोग्राफी होगी। यदि कोई आवासीय उपयोग के लिए निर्माण कर रहा हो, जिसका व्यवसायिक उपयोग न हो उन्हें जांच के क्रम के निगम अधिकारियों को शपथ पत्र देना होगा।

पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर अवैध निर्माणों की जांच पड़ताल शुरू की गई है। इसके लिए एहतियातन नई प्लानिंग रिपोर्ट पर भी रोक लगाई गई है। दरअसल शहर में अनियमित तरीके से भवनों एवं अपार्टमेंट का निर्माण किया गया और किया जा रहा है। इसलिए ये तमाम कार्रवाई की जा रही हैं।

कुलदीप नारायण, आयुक्त, पटना नगर निगम

आवासीय सहयोग समितियों से मांगा प्रमाणपत्र

हाईकोर्ट द्वारा सहकारी समिति के संबंध में दिए गए आदेश के आलोक में निगम ने उसके क्षेत्र में निबंधित सभी सहकारी आवासीय सहयोग समिति से निबंधन प्रमाण पत्र एवं अन्य कागजात की मांग भी की है। इससे निगम अफसरों को यह समझने में सहुलियत होगी कि किस जमीन पर व्यवसायिक अथवा गैर आवासीय उपयोग के लिए निर्माण किया जा रहा है।

तो नहीं मिलेगा बिजली, पानी का कनेक्शन

यदि किसी बिल्डर या मालिक मकान ने निगम के तय नियमों का उल्लंघन करते हुए नक्शा पास कराया है नक्शे का उल्लंघन कर निर्माण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वैसे लोगों का बिजली, पानी और सीवरेज का कनेक्शन नहीं मिलेगा। निगम आयुक्त ने इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया है।